न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

तारीख रज्जू– 25/09/24

अपील संख्या 27/24

1. मुनेश पुत्र हरना जाति मीना निवासी ग्राम गेडी उम्र 40 साल निवासी गैडी तहसील वजीरपुर। –अपीलार्थी

बनाम

–रेस्पोडेन्ट

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर।

दिनांक 06/11/2024

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 142/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गैडी के आराजी ख0नं0 1272 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय उनवानी रूयेदार मिसल होने से काबिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका ही नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को मिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से बार–बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये है। भंयकर पानी बरसात का बरस रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है । पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असवैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकवा व पटवारी रिपोर्ट में रकवा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं [illegible] खाली है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर [illegible] निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:21 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पैरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण पाये

जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आरजीयात पर मिर्च की फसल की हुई है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना एवं बयान में पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक रीडर/2024/141 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में मौके पर मिर्च की फसल है।

उक्त परिस्थियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:21 IST
Reason: SelfAttested